झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
आपराधिक विविध याचिका संख्या 1866/2023

राज कपूर धारा उम्र लगभग 30 वर्ष, पुत्र गुणधर धारा निवासी ग्राम- सालडीह बस्ती, डाकघर व थाना- आदित्यपुर, जिला- सरायकेला- खरसावां, वर्तमान में ग्राम- कुलियांक, डाकघर- बम्बोल थाना- बहरागोड़ा, जिला- पूर्वी सिंहभूम (झारखंड) ।

...... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. प्रिया पात्रा पत्नी श्री राज कपूर धारा पुत्री विश्वनाथ पात्रा निवासी ग्राम-हरिहरपुर, डोमजुरी, डाकघर और थाना-बहरागोड़ा जिला-पूर्वी सिंहभूम (झारखंड)।
3. गगन राणा पुत्र लखींद्र राणा निवासी मुर्गाघुटु डोमजुरी रोड, नरवा बांध चौक डाकघर एवं थाना- पोटका जिला पूर्वी सिंहभूम (झारखंड)

....विरोधी पक्षगण

याचिकाकर्ता की ओर से	: श्री कृपा शंकर नंदा, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	: सुश्री रूबी पांडे, अपर पी.पी.
ओ.पी. संख्या 2 की ओर से	: श्री राकेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

प्रस्तुत

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनो पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 27/2022 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, सरायकेला-खरसावां द्वारा पारित दिनांक 28.02.2023 के आदेश को रद्द करने और अलग रखने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसके तहत और जहां विद्वान सत्र न्यायाधीश, सरायकेला-खरसावां ने विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 22.09.2022 के आदेश की पुष्टि की, जिसमें शिकायत को शिकायत मामला संख्या 581/2021 होने के कारण खारिज कर दिया गया और आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया।

3. शिकायतकर्ता का मामला यह है कि विपक्षी संख्या 2 याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। अपनी शादी के बाद, याचिकाकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 को कुछ गहने उपहार में दिए। विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 3 के साथ घनिष्ठता विकसित की, जिसे शिकायत में सह-अभियुक्त के रूप में उद्धृत किया गया है और याचिकाकर्ता को छोड़ दिया है और विपक्षी संख्या 3 के साथ रह रही है। आगे आरोप है कि याचिकाकर्ता के घर से जाते समय विपक्षी संख्या 2 ने 2,30,000/- रुपये के गहने, 20,000/- रुपये नकद और एक मोबाइल हैंडसेट ले लिया। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरायकेला ने अपने आदेश दिनांक 22.09.2022 के माध्यम से इस तथ्य पर विचार किया कि विवाह के समय विपक्षी संख्या 2 को गहने दिए गए थे। सरायकेला के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने माना कि

विपक्षी संख्या 2 द्वारा कथित तौर पर लिया गया आभूषण शिकायत में उल्लिखित अभियुक्त संख्या 1 का स्त्री-धन है और मोबाइल और 20,000/- रुपये की नकदी जो उसने कथित तौर पर ली है, विपक्षी संख्या 2 की वैध हिरासत में है और वह शिकायतकर्ता के साथ विवाहित होने के नाते उसका उपयोग करने की हकदार है। इसलिए, लगाए गए आरोप, भले ही पूरी तरह से सत्य माने जाएं, फिर भी वे कोई अपराध नहीं बनाते हैं और इस मामले में विपक्षी संख्या 2 के विपक्षी संख्या 3 के साथ भागने के लिए विपक्षी संख्या 2 के खिलाफ कोई आपराधिक दायित्व नहीं बनता है और आपराधिक अभियोजन संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज कर दिया और उसका निपटारा कर दिया। सेराइकेला-खरसावां के विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 27/2022 में दिनांक 28.02.2023 को दिए गए अपने फैसले में यह भी माना कि इस आपराधिक विविध याचिका के विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ने कथित तौर पर शादी के समय दिए गए गहने और साथ ही 20,000/- रुपये की राशि भी छीन ली। गहने उसके स्त्री-धन थे और मोबाइल हैंडसेट और 20,000/- रुपये की नकदी विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के पास वैध हिरासत में प्रतीत होती है जो उसे शादी के समय मिली थी। इसलिए, वह इसे कानूनी रूप से उपयोग करने की हकदार है जो शिकायत में आरोपित किए गए अपराधों के किसी भी तत्व को आकर्षित नहीं करता है और कोई योग्यता नहीं पाते हुए, उक्त आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि निचली दोनों अदालतें इस बात पर विचार करने में विफल रहीं कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 और 3 द्वारा चुराई गई वस्तुएं विपक्षी पक्ष संख्या 2 का स्त्री-धन नहीं हैं और आभूषणों को विपक्षी पक्ष संख्या 2 का स्त्री-धन मानने में गलती की है। इसलिए, यह दलील दी जाती है कि इस आपराधिक विविध याचिका में की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार किया जाए।

5. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत दंडनीय अपराध में निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं:

(i) अभियुक्त ने कोई चल संपत्ति हटाई,

(ii) अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना संपत्ति हटाई,

(iii) उसने ऐसा बेईमानी से किया जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **के.एन. मेहरा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में एआईआर 1957 एससी 369** में कहा है।

6. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जहां अधिकार का एक सद्भावनापूर्ण दावा मौजूद है, यह चोरी के लिए अभियोजन पक्ष के लिए एक अच्छा बचाव हो सकता है। कोई भी कार्य तब तक चोरी नहीं माना जाता जब तक कि न केवल कोई कानूनी अधिकार हो बल्कि कानूनी अधिकारों का कोई रंग-रूप भी न हो, जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **चंडी कुमार दास करमरकर और अन्य बनाम अबनिधर रॉय के मामले में एआईआर 1965 एससी 585** में रिपोर्ट किया है।

7. अब, मामले के तथ्यों पर आते हैं, निर्विवाद रूप से विपक्षी पक्ष संख्या 2 याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। याचिकाकर्ता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसने विपक्षी पक्ष संख्या 2 को आभूषण उपहार में दिए हैं। इसलिए, यदि इसे सत्य माना जाता है, तो निश्चित रूप से विपक्षी पक्ष संख्या 2 को उपहार दिए जाने के बाद, इस आपराधिक विविध याचिका का विपक्षी पक्ष संख्या 2 उस पर वैधानिक अभिरक्षा के साथ उसका स्वामी बन जाता है। किसी व्यक्ति की पत्नी को वैवाहिक घर में मौजूद संपत्ति पर कानूनी अधिकार या कम से कम कानूनी अधिकार का रंग मिल सकता है, खासकर तब जब केवल पति और पत्नी ही उस घर में वैवाहिक जीवन जीते हुए साथ रहते हों।

8. ऐसी परिस्थितियों में, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के खिलाफ किसी भी बेईमान इरादे के आरोप के बिना याचिकाकर्ता के पैसे लेने के किसी भी विशिष्ट आरोप की अनुपस्थिति में, यह न्यायालय इस विचार से सहमत है कि आपराधिक अभियोजन संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज करने और निपटाने में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरायकेला द्वारा या आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज करने में विद्वान सत्र न्यायाधीश, सरायकेला-खरसावां द्वारा कोई गंभीर अवैधता नहीं की गई है; आपराधिक विविध याचिका की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस न्यायालय का अनुमान उचित है।

9. तदनुसार, यह सी.आर.एम.पी., बिना किसी योग्यता के होने के कारण, खारिज की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 08 अप्रैल, 2024 एएफआर/
अनिमेष-सरोज

यह अनुवाद ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।